न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 07/2025   दायर दिनाँक 08.01.2025

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. उगाराम पुत्र अन्नाराम जाति बावरी निवासी साडांस तहसील लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान। 2. रिछपाल बावरी पुत्र रामेश्वर बावरी जाति बावरी निवासी ग्राम बिंचावा तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।	बनाम्	01. प्रहलाद माता चुनकी 02. मानाराम माता चुनकी 03. सायरी माता चुनकी 04. मोहनी माता चुनकी 05. रूकमा माता चुनकी 06. प्रभुदयाल पुत्र नाथुराम माता पांची देवी पुत्री चुनकी समस्त जाति मेघवंशी निवासी बिंचावा तहसील डीडवाना। 07. प्रहलादराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी रिक्सा बास तहसील डीडवाना। 08. राजस्थान सरकार जरिये ग्राम पंचायत, बिंचावा तहसील डीडवाना। 09. तहसीलदार, छोटी खाटू।

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53,88,188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री अशोक भाकर वकील वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 15.01.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा बिंचावा पटवार हल्का बिंचावा, भू. अ. नि. क्षेत्र केराप तहसील छोटी खाटु के खेत खसरा सं. 1086/573 रकबा 0.5400 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 11.06.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटीखाटू ने अपने पत्रांक: भू.अ./2026/34 दिनाँक 08.01.2026 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटीखाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटीखाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2026/34 दिनाँक 08.01.2026 को स्वीकार कर, ह[illegible] अंतिम डिक्री पारित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:12:07 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

सरहद बिंचावा [illegible] भू. अ. नि. क्षेत्र केराप तहसील छोटी खाटु के खेत खसरा सं. 1086/573 रकबा 0.5400 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2026/34 दिनाँक 08.01.2026 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2026/34 दिनाँक 08.01.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:12:07 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना